रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2011/श्रावण 6, 1933

No. 421] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2011/SRAVANA 6, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 576(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी कार्य विभाग, क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालयों, कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों एवं शासकीय समापक के कार्यालयों (प्रवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, एतद्द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती के तरीकों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख.**—(1) इन नियमों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद हेतु नियुक्ति की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-वरिष्ठता अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रवर श्रेणी लिपिक	229* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	पे बैंड-2, बैंड पे 5200-20200 रु. के साथ ग्रेड पे 2400 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
9	10	11	12
लागू नहीं	शून्य	8 वर्ष की सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों से 100% पदोन्नति द्वारा (ग्रेड पे रुपए 1900)	संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिक (ग्रेड पे रुपए 1900) । नोट 1:- जिन मामलों में

			कनिष्ठ कर्मचारी जिन्होंने सेवा अर्हता या पात्रता पूर्ण कर ली है के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है वैसे मामलों में उनके वरिष्ठ सह-कर्मियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, यदि उनकी अपेक्षित योग्यता या सेवा पात्रता में आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, की कमी न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ जिसने अगले ग्रेड में पदोन्नति हेतु अर्हता या सेवा पात्रता पूर्ण कर ली है के साथ ही पदोन्नति हेतु परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। नोट 2:- पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 या वह तिथि जब से 6ठे वेतन आयोग की अनुसंशाओं के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सेवा को वेतन आयोग के अनुसंशाओं के आधार पर दिए गए सदृश वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।

क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हां, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. क्षेत्र का प्रादेशिक निदेशक, अध्यक्ष 2. कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर) - सदस्य 3. अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग का कोई अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12011/05/2011-प्रशासन-II]

अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2011

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Company Affairs, Offices of the Regional Directors, Registrars of Companies and Official Liquidator (Upper Division Clerk) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Offices of the Regional Directors, Registrar of Companies and Official Liquidators in the Ministry of Corporate Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, field offices (Upper Division Clerk) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of posts, its classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has contracted into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen an other special category of persons in according with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection-post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Upper Division Clerk	229* (2011) *Subject to the variation dependent on the workload..	General Central Service Group 'C'. Non Gazetted, Ministerial	Pay Band -1 with band pay Rs.5200-20200, Grade Pay Rs.2400	Non selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification. Prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	NIL	100% By Promotion from the Lower Division Clerks (Grade Pay of Rs.1900) with 8 years of service

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Lower Division Clerks (Grade Pay of Rs. 1900) with 8 years regular service in the grade. **Note-1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualification or eligibility service by more than half or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Note 2:** for the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service on a regular	Group 'C' Departmental Promotion Committee 1. Regional Director of the Region-Chairman 2. Registrar of Companies/official Liquidator (JAG level)- Member 3. Under Secretary Ministry of Corporate Affairs –Member 4. An Officer belonging to SC/ST category not below the level of Under Secretary to the Govt. of India-Member	Not applicable

2843 GI/11-2

basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay /pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

[F. No. A-12011/05/2011-Ad-II]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.